

बिहार सरकार,
शिक्षा विभाग।

प्रेषक,

विजय कुमार (भा० प्र० से०),
अपर सचिव-सह-निदेशक, जन शिक्षा।

सेवा में,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता),
बक्सर एवं कैमूर।

पटना, दिनांक-...../

विषय :- वित्तीय वर्ष 2026-27 में महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर
आँचल योजना के तहत व्यय हेतु राशि की विमुक्ति के सम्बन्ध में।

महाशय,

वित्त विभाग के पत्र संख्या-12888/वि० दिनांक 03.12.2024 की कंडिका-05 (ख)
(ii) एवं पत्र संख्या-1720/वि० दिनांक 08.03.2021 की कंडिका-02 में उल्लेखित प्रक्रियानुसार
स्वीकृत्यादेश सं०-02 दिनांक-10.04.2026 एवं स्वीकृत्यादेश सं०-78 दिनांक-10.08.2026 के तहत
स्वीकृत राशि से जिला स्तर पर कुल-**39,000/-** (दो लाख छिहत्तर हजार पचपन) रुपये मात्र
आवंटित की जाती है। राशि की निकासी एवं भुगतान सम्बन्धित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में
पदस्थापित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) द्वारा उनके जिले के नाम के सामने अंकित राशि
की निकासी CFMS प्रणाली के अन्तर्गत की जायेगी। **39,000/-** (उनचालिस हजार) रुपये मांग
संख्या-21, मुख्य शीर्ष 2202, सामान्य शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष, 04-प्रौढ़ शिक्षा, लघु शीर्ष, 200-अन्य
प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, उप शीर्ष 0102-प्रौढ़ शिक्षा, विपत्र कोड-21-2202042000102 के अंतर्गत, विषय
शीर्ष-31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन से निम्नलिखित रूप में की जायेगी।

क्र० सं०	जिला का नाम	कम्प्यूटर ऑपरेटर का मानदेय की राशि	कुल आवंटित की जानेवाली राशि
1	2	3	4
1	बक्सर	26000	26000
2	कैमूर	13000	13000
कुल :-			39000

2. राशि की निकासी एवं व्यय समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में
किया जायेगा।

3. इसकी सूचना सभी जिलों के सम्बन्धित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को भी दी जा रही
है।

4. CFMS प्रणाली के अंतर्गत व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित करते हुये उसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करा दी जाए।
5. उक्त राशि CFMS प्रणाली द्वारा सम्बन्धित जिले के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) को आवंटन देने हेतु बजट पदाधिकारी, शिक्षा विभाग को दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(विजय कुमार)

अपर सचिव-सह-निदेशक, जन शिक्षा।

ज्ञापांक-13/अ० आ० यो० 04-04/2026...../ पटना, दिनांक...../

प्रतिलिपि :- विवरणी की प्रति के साथ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग/सम्बन्धित प्रमण्डलीय आयुक्त/सम्बन्धित जिला पदाधिकारी/वित्त विभाग, बजट शाखा/बजट पदाधिकारी, शिक्षा विभाग/सम्बन्धित जिला शिक्षा पदाधिकारी/सम्बन्धित जिला कोषागार पदाधिकारी/सहायक निदेशक, (लेखा)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जन शिक्षा/योजना शाखा एवं बजट शाखा, शिक्षा विभाग/लेखापाल, जन शिक्षा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव-सह-निदेशक, जन शिक्षा।

ज्ञापांक-13/अ० आ० यो० 04-04/2026.....805...../ पटना, दिनांक.....25/08/26

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को इस निदेश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त सभी को ईमेल से भेजना सुनिश्चित करें।

अपर सचिव-सह-निदेशक, जन शिक्षा।